न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी – पंकज गढ़वाल आर.ऐ.अस.

वाद सं. 203/2016

निर्णय दिनांक 23.5.2021

अविनाश पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

2.कारपोरेशन बैंक शाखा पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुझुनू

3. श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

प्रतिवादीगण

4.मन्जू पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

गोण प्रतिवादी

दावा विभाजन अंतर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट –

उपस्थिति – 1.श्री चन्द्रभान कुलरिया एडवोकेट – वास्ते वादी

2.श्री रामसिंह एडवोकेट – वास्ते प्रतिवादी संख्या 1

3.ऐक पक्षीय कार्यवाही – प्रतिवादी संख्या 3

4.पैरोकार राज – राज्य की ओर से

निर्णय

प्रकरण से सम्बंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद विभाजन व निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53 व 188 आर. टी. एक्ट इस आशय का पैश किया कि कि कृषि भूमि खसरा नं. 109 तादादी 2.6700 हेक्टेयर, खसरा संख्या 361 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 362 तादादी 0.9000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 तादादी 2.1600 हैक्टेयर खसरा संख्या 605 तादादी 0.2000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 965/359 तादादी 0.6800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 970/358 तादादी 0.6800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 971/568 तादादी 1.0600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1233/360 तादादी 0.6600 हैक्टेयर कुल तादादी 9.0200 हैक्टेयर रोही

थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है, यहि विवादित कृषि भूमि है, विवादित कृषि भूमि में वादी तथा गोण प्रतिवादी संख्या 4 ब.ही.ब. 1/2 हिस्सा के खातेदार कास्तकार है मगर भूमि का खाता साझा में रहने से वर वक्त कास्त प्रतिवादी संख्या 1 भूमि की किस्म, रास्ता व सीमा आदि को लेकर तनाजा करने लग गये हैं जिस कारण वादी व गोण प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि का मोका पर कब्ज़ा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने व प्रतिवादी गण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के मुश्तहक हैं जिसके लिये यह वाद खाता विभाजन व निषेधाज्ञा लाया जाना आवश्यक हो गया है आदि आदि पैश किया प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया वादी,प्रतिवादी संख्या 1 व गोण प्रतिवादी संख्या 4 ने मय वकील हाजिर अदालत आकर वाद पत्र में दर्ज अनुसार विभाजन करने पर सहमति व्यक्त करते हुये राजीनामा मय विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर मुताबिक़ सहमति के विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया है तथा सम्बंधित खातेदार के हिस्से की भूमि उसके ऋणी बैंक के रहन बदस्तूर रखने व चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं चाहने का भी निवेदन किया है प्रतिवादी संख्या 3 ने वाद में कोई राज्य हित नहीं होना जाहिर किया है उपरोक्तानुसार वाद पत्र का कोई खण्डन पैश नहीं हुआ है अतः साख्य की कोई आवश्यकता नहीं है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व गोण प्रतिवादी संख्या 4 अपने अपने हिस्सा के सह खातेदार हैं व अपने हक हिस्सा व कब्ज़ा काश्त के अनुसार सहमति से विभाजन का अनुतोष चाहा है जिस कारण वाद वादी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व राजीनामा से प्रमाणित है अतः विभाजन के अनुतोष की हद तक स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी स्वीकार कर मुताबिक़ राजीनामा डिक्री किया जाता है कि 1. कि विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 605 तादादी 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नं. 971/568 तादादी 1.0600 हेक्टेयर, खसरा संख्या 432 तादादी 2.1600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1296/109 मी. तादादी 1.2880 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1296/109 मी. तादादी 0.0400 हैक्टेयर कुल तादादी 4.7480 हैक्टेयर रोही थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादी अविनाश का 21215/47480 हिस्सा, गोण प्रतिवादी संख्या 4 मन्जू देवी 26265/47480 हिस्सा की जिसको विभाजन प्रस्ताव में दर्शाया गया है के खातेदार काश्तकार रहेंगे जिनका हिस्सा कोरपोरेशन बैंक शाखा पिलानी के रहन बदस्तूर रहेगा ।

2. कि विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 361 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 362 तादादी 0.9000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 965/359 तादादी 0.6800 हैक्टेयर, खसरा संख्या

970/358 तादादी 0.6800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1233/360 तादादी 0.6600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1296/109 मी. तादादी 1.3131 हैक्टेयर कुल तादादी 4.2431 हैक्टेयर रोही थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू विभाजन प्रस्ताव के नक्शा में दर्शाये अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के हक हिस्सा व खातेदारी की रहेगी हिस्सा कोरपोरेशन बैंक शाखा पिलानी के रहन बदस्तूर रहेगा ।

3. कि विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 1296/109 मी. तादादी 0.0140 हैक्टेयर रोही थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू विभाजन प्रस्ताव के नक्शा में दर्शाये अनुसार गैर मु. रास्ता स्वरुप की रहेगी । राजीनाम व विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग समझा जावे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.5.21 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

)आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी(

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम राजगढ़ जिला चूरू

ब इजलास पंकज गढ़वाल आर.ऐ.अस

अविनाश बनाम ओमप्रकाश आदि

नम्बर मुक़दमा 203 सन 2016

वाद बाबत विभाजन

यह मुक़दमा आज वास्ते इनफिसाल रु-ब-रु हमारे---

बहाजरी 1.श्री चन्द्रभान कुलरिया एडवोकेट – वास्ते वादी

2.श्री रामसिंह एडवोकेट –वास्ते प्रतिवादी संख्या 1

3.ऐक पक्षीय कार्यवाही –प्रतिवादी संख्या 3

4.पैरोकार राज –राज्य की ओर से

मिनजानिब व -------मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि 1. कि विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 605 तादादी 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नं. 971/568 तादादी 1.0600 हेक्टेयर, खसरा संख्या 432 तादादी 2.1600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1296/109 मी. तादादी 1.2880 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1296/109 मी. तादादी 0.0400 हैक्टेयर कुल तादादी 4.7480 हैक्टेयर रोही थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादी अविनाश का 21215/47480 हिस्सा, गोण प्रतिवादी संख्या 4 मन्जू देवी 26265/47480 हिस्सा की जिसको विभाजन प्रस्ताव में दर्शाया गया है के खातेदार काश्तकार रहेंगे जिनका हिस्सा कोरपोरेशन बैंक शाखा पिलानी के रहन बदस्तूर रहेगा ।

2. कि विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 361 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 362 तादादी 0.9000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 965/359 तादादी 0.6800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 970/358 तादादी 0.6800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1233/360 तादादी 0.6600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1296/109 मी. तादादी 1.3131 हैक्टेयर कुल तादादी 4.2431 हैक्टेयर रोही थिरपाली ... में दर्शाये अनुसार प्रतिवादी संख्या

1 ओमप्रकाश के हक हिस्सा व खातेदारी की रहेगी हिस्सा कोरपोरेशन बैंक शाखा पिलानी के रहन बदस्तूर रहेगा ।

3. कि विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 1296/109 मी. तादादी 0.0140 हैक्टेयर रोही थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू विभाजन प्रस्ताव के नक्शा में दर्शाये अनुसार गैर मु. रास्ता स्वरुप की रहेगी । राजीनाम व विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग समझा जावे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे । चीज --मुवलिंग -- बाबत-- खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह --फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख

वसूलदावी तक --को अदा करें । बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 5 सन 2021 को जारी की गयी ।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी दस्तखत/ओहदा
राजगढ़ (चूरू)